न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 58 / 2025(GCMS 2025/311)
(RTI No. 212374824304188)

सुखदीप सिंह 9 एसडीएस तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
मोबाईल नम्बर : 9116864817

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुखदीप सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर से अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सुखदीप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 8 एसडीएस में 2018 से 2025 के मध्य विद्यालय परिसर से पेड़ काटने की आपके कार्यालय से दी गई अनुमति की प्रमाणित प्रति प्रदान करे।
2. राजकीय परिसर से हरे पेड़ कटवाने के लिए राजकीय नियम की प्रमाणित प्रति प्रदान करें
3. राजकीय परिसर से हरे पेड़ काटने के लिए ब्लॉक सत्र पर अनुमति देने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम की सूचना प्रदान करें।
4. राजकीय परिसर से पेड़ कटवाने की प्रति की जानकारी प्रदान करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:43 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 58 / 2025
(GCMS No. 2025/311)
(GCMS No. 212374824304188)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार **(राजस्व), सादुलशहर** ने अपने पत्र 422 दिनांक 15.09.2025 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र का जवाब अपने पत्र आरटीआई / 2025 / 421 दिनांक 15.09.2025 निम्नानुसार प्रेषित किया है :

1. चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84(2) में पेड़ो को सशर्त काटने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है।
3. बिन्दु संख्या 3 व 4 में चाही गई सूचना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84 में अर्न्तनिहित है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश / निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलहशर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है किन्तु सहायक लोक सूचना अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:43 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2025 का जवाब दिनांक 15.09.2025 को लगभग 3 माह 7 दिन पश्चात दिया गया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को 30 दिवस में सूचना/जवाब दिये जाने का प्रावधान है। **आप द्वारा सूचना/जवाब समय पर न दिया जाना, आपकी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति लापरवाही, उदासीनता और गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। अतः आप भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सूचनाएं प्रार्थीगण को समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:43 IST
Reason: SelfAttested